भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1058

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2023 को दिया जाना है ।

21 माघ, 1944 (शक)

दिव्यांग नागरिकों का आधार पंजीकरण

1058. श्री मोहम्मद नदीमुल हक :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि बहुत से दिव्यांग नागरिक उंगलियों के निशान जैसी बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करने में अक्षम होने के कारण आधार पंजीकरण से वंचित रह गए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा आधार योजना में उनके पंजीकरण को व्यवहार्य बनाने के लिए क्या विशेष प्रावधान तैयार किए गए हैं, यदि कोई हो, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आधार संबंधी डाटा संग्रहण प्रक्रिया में आ रही अन्य तकनीकी समस्याओं पर विचार किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ख): जी, नहीं । आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 6 में प्रावधान है कि जो निवासी फिंगरप्रिंट प्रदान करने में असमर्थ हैं, उनके लिए केवल आईरिस स्कैन एकत्र किए जाएंगे। आगे यह प्रावधान है कि ऐसे निवासियों के लिए जो विनियमों द्वारा अपेक्षित कोई भी बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करने में असमर्थ हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) नामांकन में ऐसे अपवादों से निपटने के लिए कार्य करेगा और सॉफ़्टवेयर अद्यतन करेगा और इस तरह के नामांकन इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा । प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिनांक 1.8.2014 के बायोमेट्रिक अपवाद नामांकन दिशानिर्देशों, अनुसार, उन निवासियों के नामांकन के लिए प्रावधान मौजूद है जिनके पास कुछ आवश्यक बायोमेट्रिक्स की कमी रह जाती है। ऐसे निवासियों के लिए, निवासी के जनसांख्यिकीय विवरण को कैप्चर किया जाना है जैसा कि सामान्य नामांकन के मामले में किया जाता है, गायब बायोमेट्रिक्स को नामांकन के लिए सॉफ्टवेयर में हाइलाइट किया जाता है जबकि शेष बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करते समय दोनों हाथों को उठवाकर अपवाद को हाइलाइट करने के लिए निवासी के चेहरे की तस्वीर ली जाती है, और पर्यवेक्षक की भूमिका में एक व्यक्ति ऐसे नामांकन को अपवाद नामांकन के रूप में मान्य करता है।

(ग) से (घ): यूआईडीएआई ने सूचित किया है कि नामांकन के दौरान एकत्र किए गए प्रत्येक डेटा को एक मजबूत, अच्छी तरह से स्थापित डेटा गुणवत्ता जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें एकत्र की गई जानकारी की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित और मैन्युअल जांच दोनों शामिल हैं।

इसने आगे सूचित किया है कि यह नामांकन प्रणाली और प्रक्रियाओं की निरंतर निगरानी करने और आधार डेटाबेस में डेटा की निवासी-केंद्रितता और सटीकता में सुधार करने का प्रयास करता है।

****